ई–मेल द्वारा

प्रेषक,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण उत्तर प्रदेश,
620 इन्दिरा भवन, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः 3291 **/अ.सं.क.नि.–1082–एन.एस.पी.–भ.स.छ.व./2020–21** **दिनांक** 13 **जनवरी, 2021**

विषयः अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित प्री–मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक एवं मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजनाओं में पारदर्शिता बरतने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ अवगत कराना है कि आज दिनांक 12 जनवरी, 2021 को संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार की अध्यक्षता में एन0एस0पी0 पर आन लाइन संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं की वी0सी0 के माध्यम से समीक्षा की गयी । समीक्षा के दौरान संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा छात्रवृत्ति योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित किये जाने हेतु मंत्रालय के पत्र संख्या **SS-15/23/2020-Scholarship-MoMa** दिनांक 18 नवम्बर, 2020 पत्र दिनांक 3 दिसम्बर, 2020 तथा पत्र दिनांक 07 जनवरी, 2021 द्वारा **Preventive Measures** जारी किये गये ।

भारत सरकार के उक्त निर्देशों के क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या 2390/अ0सं0क0नि0–1082–एन0एस0पी0/2020–21 दिनांक 19 नवम्बर, 2020 पत्र संख्या 2597/अ0सं0क0नि0–1082–एन0एस0पी0/2020–21 दिनांक 08 दिसम्बर, 2020 तथा पत्र संख्या 3239/अ0सं0क0नि0–1082–एन0एस0पी0/2020–21 दिनांक 11 जनवरी, 2021 द्वारा अनुपालन हेतु निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं। समीक्षा में भारत सरकार के दिये गये निर्देश के अनुरूप जिन संस्थाओं की **KYC Approve** की गयी है उनके **INO (Intitute Nodal Officer)** का **Verification** न किये जाने पर भारत सरकार द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है तथा **INO Verification** के लिये दिनांक 15 जनवरी, 2021 की अन्तिम समय सीमा निर्धारित की गयी है।

बैठक के उपरान्त प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के साथ हुई चर्चा में यह पाया गया कि जनपद अम्बेडकरनगर, मिर्जापुर सहित कई जनपदों में कुल आवेदकों का 50 प्रतिशत से अधिक छात्रावासीय छात्रों के आवेदन भरे गये हैं जबकि पूर्वदशम कक्षाओं में छात्रावासीय सुविधा वाले विद्यालयों की संख्या बहुत कम अथवा नही है। बिना छात्रावास की सुविधा वाले संस्थानों में छात्राावासीय आवेदनों को न केवल निरस्त किया जाय बल्कि संस्थान की ओर से **Data** सत्यापित करने वाले **INO** के विरूद्ध नियामनसुार कार्यवाही की जाय। इसी प्रकार संवीक्षा में पाया गया कि मदरसों के छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति आवेदन–पत्रों में भी शुल्क भरा जा रहा है । आप भली भांति अवगत ही हैं कि मदरसा मान्यता नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार मान्यता हेतु निर्गत प्रमाण–पत्रों में इस आशय का स्पष्ट उल्लेख है कि छात्र/छात्राओं से कोई शुल्क नही लिया जायेगा। उक्त के पश्चात भी किसी मदरसे द्वारा अधिकारिक रूप से शुल्क का उल्लेख करते हुये यदि आवेदन पत्र अग्रसारित किया जा रहा है तो यह मान्यता में उल्लिखित शर्तो का उल्लंघन है। ऐसा कृत्य कारित करने वाले मदरसों की मान्यता को नियमानुसार निरस्त

किये जाने की कार्यवाही की जाय। सत्र 2020–21 में पूर्व में **INO** द्वारा अबतक सत्यापित **Data** को **Re-Verification** हेतु पुनः वापस किया जा चुका है ऐसे **Data** को INO स्तर से फिर से सत्यापित किया जाय। प्रदेश के बाहर अध्ययनरत दर्शाते हुये आवेदन करने वाले छात्र/छात्राओं की गहन संवीक्षा करने के उपरान्त ही Data को सत्यापित किया जाय। जहॉ कहीं भी आवेदन–पत्र में अशंका हो अथवा किसी जनपद अथवा राज्य के बहुत अधिक संख्या में छात्र/छात्रायें दूसरे जनपद या राज्य में प्रदर्शित हो रहे हो तो एन0एस0पी0 पर **INO/DNO/SNO** से वार्ता कर शंका का समाधान सुनिश्चित कर लिया जाये।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि कृपया उपरोक्त उल्लिखित तथ्यों के अनुरूप निर्दिष्ट निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यदि छात्रवृत्ति योजनाओं में शासकीय धनराशि का दुरूपयोग परिलक्षित होता है तो उसके विरूद्ध दुरूपयोग की गयी अधिक धनराशि की नियमानुसार रिकवरी कराना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में प्रकरण में संलिप्त अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

(डी0एस0उपाध्याय)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 को इस आशय से कि कृपया उपरोक्त उल्लिखित तथ्यों के आलोक में सभी सम्बन्धित पहलुओं पर अपने स्तर से भी निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें।

(डी0एस0उपाध्याय)
निदेशक